वित्तीय स्वीकृति

संख्या-29/2017/1449/52-3-17-बजट(19)/2017

प्रेषक,

डा0 पिंकी जोवल
विशेष सचिव,
उ0प्र0 □□□□

सेवा में,

□□□□,
अल्पसंख्यक कल्याण उ0प्र0
□□□□□

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ □□□□-3, □□□□: दिनांक 24 अगस्त, 2017

विषयः-वित्तीय वर्ष 2017-18 में राज्य सहायता प्राप्त अरबी फारसी मदरसों को पो □□□□/अनुरक्षण अनुदान के भुगतान हेतु प्रथम किश्त की धनराशि की स्वीकृति □□□□,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-1891/□0□0□0□□0/□□ □□□0/2016 दिनांक 14.8.2015 के संदर्भ में के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (आय-व्ययक) □□□□-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्य-8/2017/□□-1-1190/□□-2017-231/2017, दिनांक 03.08.2017 □□ प्रस्तर-2(7) की व्यवस्था के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में राज्य सहायता प्राप्त अरबी फारसी मदरसों को पोषण अनुदान/अनुरक्षण अनुदान के भुगतान हेतु प्राविधानित धनराशि रू0 10,00,000/- के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में रू0 05,00,000/- (रू0 पाँच लाख मात्र) निम्नांकित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृत करते हुये व्यय करने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

(1) कोषागार से धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकता के अनुसार किया जायेगा तथा धनराशि को आहरित कर बैंक/डाक घर में जमा नहीं किया जायेगा।

(2) उक्त स्वीकृति इस शर्त के अधीन है कि भवनों के रख रखाव इत्यादि के लिये उन्हीं मदरसों को अनुदान दिया जायेगा, जिनका स्वामित्व स्वयं मदरसों का ही हों अथवा उनको संचालित करने वाली संस्था का हो।

(3) यह वित्तीय स्वीकृतियाँ जिलों को तत्काल आवंटित कर दी जाय तथा जिलेवार आवंटित धनराशि की सूचना तत्काल शासन को उपलब्ध करायी जाय।

(4) उक्त पर होने वाला व्यय शासन द्वारा समय≤ पर निर्गत शासनादेशों/दिशा निर्देशों के अनुरुप सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) उक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण पत्र दिनांक 31.10.2017 तक उपलब्ध □□□□ □□□□□

2- उपरोक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 □□ □□-व्ययक के अनुदान संख्या-48 □□ लेखाषीर्षक-2202-सामान्य शिक्षा-01-प्रारम्भिक शिक्षा-800-अन्य व्यय-06-अरबी फारसी मदरसों को □□□ □□□□-20-□□□□□ □□□□-सामान्य (□□ □□□) □□□□□□□□ □□□□□

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं0-8/2017/□□-1-1190/ □□-2017-231/2017, दिनांक 03.08.2017 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीया,

(□□0 पिंकी जोवल)
विशेष सचिव

संख्या-1449(1)/52-3-17-तददिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-□□□□□□□□□ (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, □□□□□□□□

2-□□□□□□□□□ (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, □□□□□□□□

3-मुख्य कोषाधिकारी, वै□□□□□□□, □□□□□

4-कोषाधिकारी, ज□□□□ □□□, □□□□/वित्त एवं लेखाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण □□□□□□□, □0प्र0 □□□□□

5-रजिस्ट्रार, उ0प्र0 मदरसा शिक्षा परिषद, 704, □□□□□ □□□, □□□□□

6-अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1

7-वित्त (आय व्ययक) □□□□□-1

आज्ञा से,

(□□□ □□□)
संयुक्त सचिव

1- □□ □□□□□□ इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: □स पर हस्ताक्षर की आवश्यकत□ नहीं □□

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in